

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना / विज्ञप्ति

पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरुष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न का गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान करने विषयक सूचना

संख्या:पीआरपीबी-एक-2(कारा0वि0)/2018

दिनांक:दिसम्बर 16 , 2020


1- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जेल वार्डर, फायरमैन (पुरुष) एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 19.12.2020 एवं 20.12.2020 को दो पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित कराने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है।

(i) नियामवली उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 के नियम-15(2) लिखित परीक्षा-में उल्लेख है कि "अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे"।

(ii) तदनुसार ही फायरमैन की उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 के प्रस्तर-15(1) सीधी भर्ती की प्रक्रिया में उल्लिखित है कि "फायरमैन-फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।" उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 के नियम-2 लिखित परीक्षा-में "अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे"।

(iii) उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भर्ती की लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 02 अंक निर्धारित हैं। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरक्षी भर्ती की उपरोक्त नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिये -0.50 (ऋणात्मक) अंक प्रदान किये जायेंगे।

2- अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> का निरन्तर अवलोकन करते रहें।


<अपर सचिव (भर्ती),
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।